चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह व उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि एक वादिनी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी गई कि उनकी नाबालिक पुत्री को दिलशाद पुत्र मो0 शमीम के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 262/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के मेडिकल, मा0 न्यायालय के समक्ष बयान धारा 183 बीएनएसएस के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त दिलशाद उपर्युक्त को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय

2.आरक्षी दिलीप पाण्डेय

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस टीम ने 08 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

(i). उ0नि0 श्री अमरेन्द्र सिंह मय हमराह आरक्षी अनिकेत,रि0आरक्षी अनिल कुमार,रि0आरक्षी दिलीप पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु0नं0 449/2017 अ0स0 3361/2010 धारा 147,323,325,427 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.बुद्ध विलास पुत्र शम्भू उम्र 50 वर्ष 2.बच्चा केवट उम्र 38 वर्ष 3.बलदेव उर्फ पप्पू केवट उम्र 46 वर्ष 4.बुद्धु केवट उम्र 32 वर्ष पुत्रगण नर्वद केवट निवासीगण खटकाना शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट व मु0नं0 3361/2010 धारा 452,323,504,506,427 को गिरफ्तार किया गया।

(ii).उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर मय हमराह आरक्षी रविशंकर व आरक्षी नागेश कुमार द्वारा अ0स0 617/2018 धारा 323,504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त राहुल कुशवाहा पुत्र शिवप्रसाद उम्र 23 वर्ष निवासी रत्नावली मार्ग बनवासी होटल के पास सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट व मु0अ0सं0 50/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त युवराज सिंह पुत्र नन्द किशोर निवासी चितरागोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री नरेन्द्र यादव थाना राजापुर द्वारा मु0नं0 609/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त राकेश प्रताप सिंह पुत्र इन्द्रजीत उर्फ ननका सिंह निवासीगण छिबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।